स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं. Raj./ST/1/2015/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 28-10-2015

सेवा में,

श्री सी.एस. राजन,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

विषयः मीना समुदाय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों पर श्री नमो नारायण मीना, पूर्व केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं अन्य का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 13.10.2015 को अपराह्न 03:30 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव के समक्ष हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, अम्बेडकर भवन, राजमहल, रेजिडेन्स एरिया, जयपुर–302005
2. श्री नमो नारायण मीना, पूर्व केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार।

प्रतिलिपि :

SSA, NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल सं. राजस्थान/एस.टी./1/2015/आर.यू.-III

मीना समुदाय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों पर श्री नमो नारायण मीना, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं अन्य के अभ्यावेदन पर आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव के समक्ष हुई बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि - 13.10.2015

बैठक में उपस्थित - परिशिष्ट (क)

श्री नमो नारायण मीना, पूर्व केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री ने आयोग को अपने अभ्यावेदन दिनांक 22.09.2015 में अवगत कराया कि राजस्थान के मीना जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी किए गए एवं किए जा रहे प्रमाण पत्रों में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मीना जाति को अंग्रेजी में Mina और हिन्दी में मीना लिखा जाता है । परंतु जब मीना जाति का जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं तो उसमें मीणा शब्द जो कि भाषा का बहुय प्रचलित शब्द है और भाषा द्वारा उच्चारण होने के कारण व्यवहारिक भाषा में मीना की जगह मीणा शब्द लिख देते हैं और यह एक विसंगति है जिससे प्रमाण पत्र धारकों को झूझना पड़ रहा है। प्रसंगत है कि समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने दो परिपत्र 30.09.2014 तथा 23.12.2014 को मीना और मीणा जाति के व्यक्तियों को जारी किये जा रहे अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्रों के संबंध में दो आदेश जारी किए हैं, जिसमें निर्देश किया गया है "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रम संख्या 9 पर MINA (मीना) जाति का अंकन किया गया है परंतु प्राय: यह देखा गया है कि जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले पदाधिकारियों द्वारा मीना (MINA)/ मीणा(MEENA) दोनों की एक ही जाति/वर्ग मानते हुए इस जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी किये जाते रहे हैं तथा वर्तमान में मीना और मीणा का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। रिट पिटिशन

Rameshwar Oraon

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संख्या 1862/2013 कैप्टन गुरविन्दर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में याचिकाकर्त्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में इस आशय का एक एडीशनल एफीडेविट दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में कुछ व्यक्तियों द्वारा पहले मीणा (MEENA) की spelling से अनुसूचित जनजाति में जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं एवं पुन: उन प्रमाण-पत्रों को मीना (MINA) की spelling प्राप्त किये जा रहे हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि चूंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अत: इस संबंध में समस्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेशों तक जिन व्यक्तियों को मीणा (MEENA) जाति का प्रमाण-पत्र दिया हुआ है को मीना (MINA) जाति में परिवर्तित कर जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं करे। उपरोक्त निर्देशों की अक्षरत: पालना सुनिश्चित की जावे। निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित सक्षम अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।"

राजस्थान राज्य सरकार ने 23.12.2014 उपरोक्त आदेश को दोबारा दोहराते हुए आदेश पारित किए कि जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में MEENA spelling एसटी का जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है उस आवेदक को पुन: MINA की spelling परिवर्तित कर एसटी का जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं दिया जावे। अत: विभाग के पूर्व पत्र क्रमांक प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/ सान्याअवि /2011/53218 दिनांक 30 सितम्बर 2014 के संबंध में उक्त स्पष्टीकरण के साथ जारी किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं किया गया है।"

आयोग ने मामले को जांचा तथा पाया की इस संबंध में मीना समुदाय को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन), अधिनियम 1956, संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1976 के तहत क्र.सं. 9 पर मीना अधिसूचित किया गया है। संवैधानिक अनुछेदों एवं रिकॉर्ड में मीना समुदाय ही अंकित है। भारत के महापंजीयक के अभिलेखों में भी राजस्थान में मीणा जाति का उल्लेख नहीं है तथा मीना समुदाय के व्यक्तियों को भाषा/बोली/उच्चारण से

Rameshwar Oraon

डॉ. रामेश्वर उराव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मीणा बोला जाता है। क्योंकि मीणा बहु प्रचलित शब्द है तथा राजस्थान की बोलचाल की भाषा में **न** को **ण** बोलने का प्रचलन है।

अध्यक्ष महोदय को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस में कहा गया था की मीना या मीणा एक ही जनजाति के हैं और राजस्थान में मीणा कोई जाति नहीं है। भारत सरकार ने जनजाति मीना को जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है, यहां बोल चाल की भाषा में इसी मीना को लोग मीणा कह देते हैं और अधिकारीगण इसी को अंकित कर उलझन पैदा कर रहे हैं। अभ्यावेदन में यह भी चर्चा की है कि क्योंकर मीना और मीणा एक ही जाति है और उन्हें अभी तक जनजाति प्रमाण पत्र मिलता रहा है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.11(204) आरएण्डपी /डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/53218, जयपुर दिनांक 30.09.2014 एवं पत्र क्रमांक प.11(204) आरएण्डपी /डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/66293, दिनांक 23.12.2014 के बाद प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया गया है इससे जनजाति के लोगों को दिक्कतें हो रही है। परंतु राज्य सरकार राजस्थान द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई ।

श्री नमो नारायण मीना से प्राप्त नवीनतम शिकायत आयोग को मिली जिसमें यह लिखा गया है कि इन आदेशों से राजस्थान के 50 लाख अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नौकरियों, स्कूलों, महाविद्यालयों और रोजगार से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आयोग ने निर्णय लिया की मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को उपरोक्त स्थिति पर पक्ष रखने के लिए आयोग में 08.10.2015 को बुलाया जाए। 08.10.2015 को बैठक अपरिहार्य कारणों से रद्द करदी गई तथा मामले में 13.10.2015 को राज्य सरकार का पक्ष सुना गया।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया कि भारत सरकार के संवैधानिक आदेशों के अनुसार मीना जाति के प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे थे। उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही थी। अचानक कुछ आरटीआई आवेदन राज्य सरकार को मिली जोकि मीना और मीणा के बाबत् थी । इसके उपरांत कैप्टन गुरविन्दर सिंह ने इस मामले को रिट पिटिशन सं. 1862/2013 के द्वारा हाईकोर्ट जोधपुर में उठाया है जो अभी विचाराधीन है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसरण में राज्य

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सरकार ने आदेश दिनांक 30.09.2014 और 23.12.2014 जारी किए। इस संबंध में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को सरकार का स्पष्टीकरण देते हुए शपथ पत्र दाखिल कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने आयोग को बैठक के दौरान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जो एक ही परिवार के सगे भाई-बहन हैं। एक को मीना समुदाय का प्रमाण पत्र दिया गया है और दूसरे को मीणा । इस से स्पष्ट हुआ कि प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही बरती जा रही है। प्रशासन की लापरवाही से मीना समुदाय के व्यक्तियों को परेशान होना पड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपना उपनाम(Surname) मीणा लिखता है, आर्य, उरांव, शर्मा, वर्मा लिखता है उसका पर्याय उसकी जाति या समुदाय नहीं बन जाता, पुनश्च जाति तो उनकी मीना ही है, परंतु अधिकारीगण उन्हें मीणा लिख देते हैं।

माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि उपनाम जनजाति / समुदाय नहीं होता इसको उपनाम से जोडकर संदेह नही करना चाहिए । भारत के किसी भी नागरिक को उपनाम लगाने के लिए कोई पांबदी नहीं है । उपनाम किसी व्यक्ति की जाति / समुदाय को संकेत नहीं करता । यथा उरांव जन-जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में संविधान द्वारा अधिसूचित किया गया है। पर जनजाति के लोग अपना उपनाम कुजूर, टोप्पो, लकड़ा आदि लिखा करते हैं।

मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया गया कि आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने 28वीं रिपोर्ट (1986-87) में उपरोक्त उपनाम के बाबत लिखा है-

i)"Area nomenclatures should not be used in the lists and only the names of specific communities should be included there in.

2)In same manner it may be clearly indicated that a surname is not to be confused with the name a community and merely because a non-SC/ST person uses a surname which is identical or quite similar to the name of a Scheduled Caste/Scheduled Tribe he cannot be allowed to claim to be a Scheduled Caste/Scheduled Tribe person."

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3) MHA के कार्यालय ज्ञापन सं. 35/1/72-आरयू(एससीटीवी) दिनांक 02.05.1975 के बिन्दुओं की ओर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया और कहा कि राज्य सरकार ने अपने ही अनुसूचित जनजाति मीना समुदाय व्यक्तियों को अपने ही अधिकारियों की गलतियों का कारण असुविधा/दिक्कतों में डाल दिया है।

राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची को देखकर आयोग ने पाया कि हिन्दी राजपत्र अधिसूचना में मीना की वर्तनी (Spelling) में कोई त्रुटि नहीं है। संविधान आदेश 1976 में मीना समुदाय को मीना सूचीबद्ध किया गया है । मीना (Mina) की जगह मीणा (Meena) अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों में वर्तनी में त्रुटि प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकृत पदाधिकारी द्वारा की गई है ।

चर्चा उपरांत मुख्य सचिव, राजस्थान को सलाह दी कि राज्य सरकार मीना समुदाय के जाति प्रमाण पत्र धारकों को हो रही समस्या का निराकरण शीघ्र करें।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi